मध्य प्रदेश वक़्फ बोर्ड

ताज केम्पस ताजुल मसाजिद के पास, भोपाल - 462001
Phone & Fax : 2543175, 2737341,
E-mail: mp_mpwaqfboard@rediffmail.com

क्रमांक /08/ भोपाल दिनांक ....

प्रति,

समस्त मुतवल्लियान/अध्यक्ष/सचिव,

वक़्फ...

....

विषय : **वक़्फ जायदादों से संबंधित/किरायेदारी एवं मुकदमात में वक़्फ बोर्ड की मंजूरी लिये जाने बाबत।**

आमतौर पर यह देखा गया है कि मुतवल्लियान/वक़्फ की कमेटियां वक्फों से संबंधित विवादों में वक़्फ बोर्ड की जानकारी में लाए बगैर और बिना बोर्ड की मंजूरी से विभिन्न न्यायालयों में वाद दायर कर देती है। कई अहम मामलों में वक़्फ बोर्ड को पक्षकार भी नहीं बनाया जाता, जिसके कारण इन मामलों की सही ढंग से पैरवी नहीं हो पाती और उन्हें भारी नुक़सान उठाना पड़ता है।

यह भी देखा गया है कि वक्फ से संबंधित किरायेदारी के मामलात भी न्यायालायों में दायर कर दिये जाते हैं, जबकि तमाम वक्फ सम्पत्तियां भाड़ा नियंत्रण अधिनियम से मुक्त है, जिसके अनुसार मुतवल्ली/कमेटी को वर्तमान मार्केट रेट से किराया तय करने के पूरे अधिकार है।

अत: पाबंद किया जाता है कि कोई भी मुतवल्ली/कमेटी कोई भी मामला वक्फ बोर्ड की जानकारी में लाए बिना या बोर्ड की मंजूरी के बिना किसी भी न्यायालय में दायर न करें। इसके अलावा वक़्फ अधिनियम 1995 की धारा 93 के तहत वक़्फ से संबंधित किसी वाद में बिना बोर्ड अनुमति के समझौता किया जाना अवैध होकर अमान्य होगा। सिविल न्यायालयीन विवाद होने पर भी वक्फ बोर्ड की ओर से स्वीकृति पश्चात प्रतिरक्षण करना अनिवार्य होगा।

वर्तमान समय में वक्फ से संबंधित कोई विवाद प्रचलित या निर्णित हुआ हो तो निर्णय सहित वाद प्रतिवाद पत्र की सत्य प्रतिलिपि वक़्फ बोर्ड को तत्काल भेजा जाना सुनिश्चित करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार

(ए. डब्ल्यू. कुरैशी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल

पृष्ठांकन..........................08

प्रतिलिपि अध्यक्ष/सचिव समस्त जिला कमेटी म.प्र. की और से सूचनार्थ

(ए. डब्ल्यू. कुरैशी)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. वक्फ बोर्ड, भोपाल